

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 35 /2021- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 35 मार्च, 2021

सा.का.नि (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, बिल ऑफ एंट्री (फॉर्म्स) विनियमावली, 1976 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:- (1) इन विनियमों को बिल ऑफ एंट्री (फॉर्म्स) संशोधन विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1. बिल ऑफ एंट्री (फॉर्म्स) विनियमावली, 1976 में, विनियम 4 में, उप- विनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप- विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1)(क) कस्टम्स पोर्ट (इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर फ्रेट स्टेशन से भिन्न) जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, प्राधिकृत व्यक्ति को जिस दिन उस कस्टम्स पोर्ट पर माल को लाने वाला यान पहुँचता हो, उसके तत्काल पूर्व वाले दिन (जिसमें अवकाश के दिन भी शामिल हैं) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा:

बशर्ते कि जहां उक्त माल को निम्नलिखित में से किसी भी देश से भेजा गया हो वहाँ प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त यान के उक्त आगमन के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा:-

- (i) बंगलादेश;
- (ii) मालदीव;
- (iii) म्यांमार ;
- (iv) पाकिस्तान ;
- (v) श्रीलंका.

(ख) कस्टम्स एयरपोर्ट जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे कस्टम्स एयरपोर्ट पर माल को लाने वाले एयरक्राफ्ट के पहुँचने के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

(c) इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्रेट स्टेशन जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्रेट स्टेशन पर माल को लाने वाले वाहन (रेलगाड़ी समेत) के पहुँचने के दिन के तत्काल पूर्व वाले दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

(घ) लैंड कस्टम्स स्टेशन जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर माल को लाने वाले वाहन (रेलगाड़ी समेत) के पहुँचने के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

[फा. स. 450/108/2017- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)

उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: उक्त प्रधान विनियमावली अधिसूचना संख्या 396- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसका अधिसूचना संख्या 03/88- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 जनवरी, 1988, जिसे सा.का.नि 30 (अ) दिनांक 14 जनवरी, 1988 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अधिक्रमण कर दिया गया था, और इसे अधिसूचना संख्या 77/89- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 दिसम्बर, 1989, जिसे सा.का.नि 1067 (अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा बहाल कर दिया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 90/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 सितंबर, 2020 जिसे सा.का.नि 568 (अ) , दिनांक 17 सितंबर, 2020 , के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।